

प्रेषक,

एच०पी० सिंह
विशेष सचिव
ठ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

Budget - १३
गोपनीय उपराजपति डॉ। रमेश कुमार

लखनऊ : दिनांक २७ सितम्बर, 2016

विषय वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों की मलिन वस्तियों में इंटरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1438/60/10/छः/विविध/अ०स०/शामली दिनांक 14 जुलाई, 2016 एवं जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, शामली के पत्र संख्या-699/इडा/अ.बा.ब.वि.यो./डी.पी.आर./ 2016-17 दिनांक 17 सितम्बर, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की मलिन वस्तियों में इंटरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 से जनपद-शामली की न०पा०प०, शामली की विभिन्न मलिन वस्तियों में इंटरलाकिंग के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि रु० 161.785 लाख (रूपये एक करोड़ इक्सठ लाख अठहत्तर हजार पाँच सौ मात्र) की, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)/2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमशः.....2

महोदय (मोर्चादाता) पांच

२२/२२
२०१६

✓/२२
२०१६

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणानों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृति/पुनरावृति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्घूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागर का नाम, बाठचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-२ के शासनादेश संख्या-ए-२-२३/दस-२०११-१७(४)/७५, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
16. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि में से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-८३ के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-“2217-शहरी विकास-आयोजनागत-०४-गंदी बस्तियों का विकास-७८९-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-०४-शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में सी०सी०रोड/इण्टरलाकिंग नाली आदि सामान्य सुविधाओं के निर्माण कार्य-००-३५-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान” के नामे डाला जायेगा।

::3::

2. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्ता।

भवदीय,
[Signature]
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या ६२३/2016/2130(1)/69-1-2016, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, ३०प्र०,२० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, शामली।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-४) अनुभाग, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, ३०प्र० शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,
[Signature]
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या ८३/२०१६/२१३०/६९-१-१६-१९(म०ब०-८३)/२०१६ दिनांक १९ सितम्बर, २०१६ का संलग्नक।
 (धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत ।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जा रही धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	शामली	न०पा०परि०, शामली	वार्ड नं० ०८ में श्री चपत सिंह के मकान से सुभाष के मकान तक, कृष्ण के मकान से सुक्का के मकान तक, सुरेश के मकान से तीरथ के मकान तक व सहेन्द्र के मकान से घनश्याम के मकान तक इण्टरलाइंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	30.87	15.435
2	तदैव	तदैव	वार्ड नं० ०९ में कल्लू के मकान से वृजपाल के मकान तक, महबूब के गकान से अख्तर के मकान तक व शिवकुमार के मकान से बविता के मकान तक इण्टरलाइंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	50.54	25.27
3	तदैव	तदैव	मो० ठेया कालोनी व मो० रामसागर में अमित भैंसवाल के मकान से रामपाल के मकान तक इण्टरलाइंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	72.57	36.285
4	तदैव	तदैव	वार्ड नं० २४ के मो० काकानगर पार्ट-ए में विकास तोमर के मकान से राठी के मकान तक, दीपक गोयल के मकान से मोहित के मकान तक, अशोक आर्य के मकान से ओमप्रकाश के मकान तक, राकेश के मकान से सुधना के मकान तक, अमरीश के मकान से शौकिल पाल के मकान तक व अमरीश वाली गली में सैनीमल के मकान से संजीव कुमार के मकान त्रुक तथा डा० पर्पन वाली गली में व अनुराधा के मकान से संदीप के मकान तक इण्टरलाइंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	92.13	46.065
5	तदैव	तदैव	वार्ड नं० २४ के मो० काकानगर पार्ट-बी में सतेन्द्र के मकान से अरविन्द के मकान तक व डा० उमंग वाली गली में, धर्मवीर के मकान से प्रवीण के मकान तक, महिपाल के मकान से अनिल के मकान तक, संदीप के मकान से रविन्द्र के मकान तक, सतेन्द्र के मकान से योगेन्द्र के मकान तक व पी०के० सिंह वाली गली में एवं योगेन्द्र के मकान से मनोज के मकान तक व दीपक सैनी के मकान से पंकज के मकान तक इण्टरलाइंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	77.46	38.73
योग				323.57	161.785

(रुपये एक करोड़ इक्सठ लाख अठहत्तर हजार पाँच सौ मात्र)।

lipsi
 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव।